

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए./2003/2605/जोधपुर

- 1- दीपाराम
- 2- गंगाराम
- 3- सांगाराम पुत्रगण श्री मगनाराम जाति मेघवाल निवासी शेरगढ़ तह0 शेरगढ़ जिला जोधपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

- 1- पेमाराम
- 2- चनणाराम
- 3- मानाराम
- 4- हीराराम पुत्रगण विशनाराम
- 5- धन्नाराम पुत्र श्री हरजीराम समस्त जाति मेघवाल निवासी शेरगढ़ तह0 शेरगढ़ जिला जोधपुर।

...रेस्पोन्डेन्टस

खण्डपी-पीठ
श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :-

श्री जी.एस. लखावत, अभिभाषक अपीलान्टस
श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

दिनांक : 22 अप्रैल, 2022

निर्णय

1- यह अपील अन्तर्गत धारा-225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 24-5-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2- इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने एक वाद सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) जोधपुर न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शेरगढ़ की कृषि भूमि खसरा संख्या-1094 रकबा 138 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या-1095 रकबा 6 बिस्वा और खसरा संख्या-1096 रकबा 6 बिस्वा कुल 138 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में अंकित है तथा वादग्रस्त भूमि पूर्व में राजस्व अभिलेख में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या-5 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या-1 से 4 के 1/4 हिस्सा अंकित है। शेष 1/4 हिस्सा जतनी बेवा रूघा के नाम अंकित था। वादीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17-11-1978 को उसका 1/4 हिस्सा क्रय कर लिया। इस प्रकार वादीगण कुल भूमि में से 3/4 हिस्से के खातेदार है तथा मौके पर पक्षकारान अलग अलग भूमि पर मनमर्जी के अनुसार बंटवारा कर काबिज काशत हैं। इसी के अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाकर वादीगण को उनके हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5-5-2001 के द्वारा वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया। विधि द्वारा निर्धारित समयावधि निकल जाने के उपरान्त एक अपील प्रत्यर्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24-5-2003 के द्वारा उक्त अपील को स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

4- अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर का निर्णय दिनांक 24-5-2003 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील मियाद बाहर होने से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर में निरस्तनीय थी। राजस्व अपील प्राधिकारी ने सरसरी तौर पर अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री निरस्त कर दी एवं प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया। उक्त अपील मियाद बाहर होने से निरस्तनीय है। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण के लम्बित रहते अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान लिखित बहस प्रस्तुत की गयी थी तथा समस्त विधिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये थे परन्तु मात्र निर्णय में उनका अंकन कर बहस के बिन्दुओं को निर्णय में अंकित किये बिना ही अपीलीय न्यायालय ने अपने में

निहित न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुये न्यायिक विवेक को काम में लिये बिना मनमाने तौर पर जो निर्णय प्रदान किया है वह अपील के माध्यम से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के निर्णय दिनांक 24-5-2003 को निरस्त किया जाकर सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 5-5-2001 को यथावत रखने के आदेश प्रदान करावें।

5- अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण की विचारण न्यायालय ने कोई प्रोपर तामील नहीं की और उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई जो कि सीपीसी के आदेश-5 नियम-17 के विरुद्ध है। विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री विधि विरुद्ध तरीके से पारित की थी। उभय पक्षों के बीच में कोई मनबट नहीं हुआ था। विचारण न्यायालय को पहले प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिये थी और उसके बाद उभय पक्षों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अन्तिम डिक्री पारित करनी चाहिये थी लेकिन विचारण न्यायालय ने केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा अन्तिम डिक्री कर दिया। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचना करते हुये आलोच्य निर्णय दिनांक 24-5-2003 पारित किया है जिसके द्वारा एसीएम(HQ)/जोधपुर का निर्णय दिनांक 5-5-2001 अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर विधि अनुकूल निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय एसीएम(HQ)/जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया है जो कि पूर्णतः विधिसम्मत निर्णय है। इस अपील में कोई सारवान व ठोस तथ्य नहीं होने के कारण यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होंने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

- 1- आरआरडी-2001 पेज-262 (एचसी)
- 2- आरबीजे-2013 पेज-296 (एचसी)
- 3- आरबीजे-2019 पेज-450 (एचसी)
- 4- आरबीजे-2021 पेज-288
- 5- आरबीजे-1995 पेज-223
- 6- आरबीजे-1995 पेज-668
- 7- आरबीजे-2001 पेज-272 (एचसी)
- 8- आरबीजे-1995 पेज-309 (एचसी)
- 9- आरबीजे-2010 पेज-626 (एचसी)
- 10- आरआरटी-2011(II) पेज-721 (एफ.बी.)

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

7- पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस तामील हेतु तहसील के माध्यम से भेजे गये थे। तामील कुनिन्दा ने सभी सम्मनों पर एक जैसी रिपोर्ट की। **“मजदूरी करने बाहर गया है। सम्मन की एक प्रति खुले मकान पर चस्पा की।”** जब सम्मन की प्रति खुले मकान पर चस्पा की, तब तामील कुनिन्दा को यह बताना चाहिये था कि खुले मकान में उस समय कौन रह रहा था। सम्मन की प्रति उसे क्यों नहीं दी गयी? यदि सम्मन की प्रति उसे दी गयी तो क्या उसने लेने से इन्कार किया? यदि उसने लेने से इन्कार किया तो उसके खुले मकान पर चस्पाबंदगी से तामील करवाई जानी चाहिये। यदि घर पर कोई मौजूद नहीं था तो मकान खुला क्यों था? चस्पाबंदगी के द्वारा तामील होने पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिये थे। जिन दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं उसमें से एक स्वयं वादी संख्या-3 सांगाराम है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण को सम्मनों की तामील गलत रूप से उचित मान ली, जो कि नियम विरुद्ध है।

8- प्रतिवादीगण संख्या 1-4 के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण केवल प्रतिवादी संख्या-5 धन्नाराम पुत्र हरजीराम ही विचारण न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसने इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर दिया। इकबाल दावा के आधार पर और केवल वादीगण के बयानों को ही सही मानकर दावा बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये ही अन्तिम डिक्री कर दिया जो उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर ने उक्त समस्त तथ्यों का भली भांति अध्ययन किया है और विधिसम्मत निर्णय पारित करके सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) जोधपुर का निर्णय दिनांक 5-5-2001 अपास्त कर दिया और प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर दिया। हम उक्त निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

9- अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा उभय पक्ष न्यायालय सहायक जिलाधीश (मुख्यालय) जोधपुर के समक्ष

दिनांक 14-6-2022 को आवश्यक रूप से उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(खजान सिंह)
सदस्य